

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 10/2021  
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/20

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग  
फायनेंस लिमिटेड, एस.एम.  
लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री  
सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

बनाम


1. श्रीमती वंदना मायल पत्नि श्री कमलेश मायल जाति कलाल निवासी 23, डॉक्टर का लुहारवाडा, वार्ड नं.1 तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता )
2. श्री कमलेश मायल पिता श्री नथामल मायल जाति कलाल निवासी 23, डॉक्टर का लुहारवाडा, वार्ड नं.1 तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (सह ऋणी )
3. श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भिख चंद पटेल जाति पटेल निवासी 42, रेयाणा, ब्राह्मण बस्ती तहसील गढी जिला बांसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 08.09.2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्रीमती वंदना मायल पत्नि श्री कमलेश मायल जाति कलाल निवासी 23, डॉक्टर का लुहारवाडा, वार्ड नं.1 तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता ) 2- श्री कमलेश मायल पिता श्री नथामल मायल जाति कलाल निवासी 23, डॉक्टर का लुहारवाडा, वार्ड नं.1 तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (सह ऋणी) को दिनांक 27.09.2018 को राशि रुपया 4,00,000 (अक्षरे चार लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। जिसमे जमानतदार श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भिख चंद पटेल जाति पटेल निवासी 42, रेयाणा, ब्राह्मण बस्ती तहसील गढी जिला बांसवाडा है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 14-07-2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 4,47,500 रु. (चार लाख सेतालीस हजार पाँच सौ मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्रीमती वंदना मायल पत्नि श्री कमलेश मायल की सम्पत्ति जो वार्ड सं.11, रामजी मंदिर के सामने वाली गली, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा पर स्थित है, जो माप लगभग 549 वर्ग फीट है। जिसमें भूखण्ड, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में खोजेमा चुडीवाला बोहरा का मकान दिवार सामलाती,

  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

अंशम में कुवरा बेन और सकीना बेन के निकास की गली, उत्तर में आम गली, दक्षिण में गली है, को बर्ती प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।


वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 23-07-2020 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.03.2021 को जारी किये गए। बावजूद नोटिस तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। दिनांक 26.07.2021 को न्याय हित में सूचना पत्र जारी किये गए। सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 08.09.2021 को अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजूद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुशलगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से

  
**जिला कलक्टर**  
**बांसवाड़ा (राज.)**

वह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह  
सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
(अंकित कुमार सिंह)  
कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट  
बासवाड़ा (राज.)